आज़ादी का अमृत महोत्सव

हरियाणा सरकार

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
हरियाणा सरकार

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

सफलता की कहानियों का संग्रह

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मिशन टीम

श्री ओम प्रकाश यादव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
राज्य मन्त्री, हरियाणा

श्री राजीव रंजन, आई.ए.एस.
आयुक्त एवं सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग हरियाणा

श्री मनदीप सिंह बराड़, आई.ए.एस.,
मिशन निदेशक

श्रीमती रुचि सिंह बेदी, एच.सी.एस.,
अतिरिक्त मिशन निदेशक

श्री जशनजीत सिंह, सलाहकार

सुश्री पूर्वी चौधरी, परियोजना प्रबंधक

सुश्री सृष्टि शर्मा, परियोजना प्रबंधक

संदेश

हरियाणा सरकार 'सबका साथ–सबका विकास और सबका विश्वास' के मूलमंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' के दर्शन पर चलते हुए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान एवं उनके जीवनस्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्यरत है। प्रदेश में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' शुरू की गई। योजना के तहत वास्तविक जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 'परिवार पहचान पत्र' के माध्यम से ऐसे परिवारों की पहचान की गई, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है तथा उन परिवारों को ऋण, कौशल–विकास और रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपये या इससे अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है।

इस योजना की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से परिवार के समग्र उत्थान पर केंद्रित है। इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू 'अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों' का आयोजन है। इन मेलों के माध्यम से लाभार्थियों को विभाग/संगठन, बैंक और जिला प्रशासन द्वारा एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इससे योजनाओं के लाभों के वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित हुई है। मेलों में तैनात परामर्श दल के सदस्यों द्वारा संभावित लाभार्थियों का उनकी जरूरतों, शिक्षा, कौशल, रुचि, स्थान आदि जैसे कुछ पात्रता मानदंडों के आधार पर अपने परिवार के लिए सबसे उपयुक्त योजना चुनने में अपेक्षित सहायता एवं मार्गदर्शन करने के साथ–साथ ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर ऋण स्वीकृत और वितरित होने तक हर कदम पर मदद की जाती है।

इस योजना के प्रभाव को ''मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना– सफलता की कहानियों का संग्रह ''नामक पुस्तिका के रूप में संकलित की गई है। निश्चय ही, ये सफलता की कहानियाँ पाठकों को 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' की मदद से गरीबी पर काबू पाने में अंत्योदय परिवारों के संघर्षों और चुनौतियों से अवगत करवाएंगी।

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्री मनोहर लाल

मुख्यमंत्री

कैबिनेट मंत्री

श्री दुष्यंत चौटाला
उप मुख्यमंत्री

कमरा नं. 40/5, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740212

श्री अनिल विज
गृह मंत्री

कमरा नं. 32/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740793

श्री कंवर पाल
शिक्षा मंत्री

कमरा नं. 34/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740010

श्री मूलचंद शर्मा
परिवहन मंत्री

कमरा नं. 49/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740157

श्री रंजीत सिंह
विद्युत मंत्री

कमरा नं. 39/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740231

श्री जय प्रकाश दलाल
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

कमरा नं. 42/6, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2743709

डॉ. बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री

कमरा नं. 24/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740906

डॉ. कमल गुप्ता
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

कमरा नं. 25/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740794

श्री देवेन्द्र सिंह बबली
विकास एवं पंचायत मंत्री

कमरा नं. 40बी/6, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740145

राज्य मंत्री

श्री ओम प्रकाश यादव
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 43–सी/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740867

श्रीमती कमलेश ढांडा
महिला एवं बाल विकास,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 31/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740358

श्री अनूप धानक
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री,
स्वतन्त्र प्रभार

कमरा नं. 47/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740195

श्री संदीप सिंह
खेल एवं युवा मामले,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 30/9, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740892

अनुक्रमांक

1.	योजना का परिचय	01	13.	कुरुक्षेत्र	23
2.	अंबाला	04	14.	महेंद्रगढ़	26
3.	भिवानी	07	15.	नूंह	27
4.	चरखी दादरी	09	16.	पलवल	28
5.	फरीदाबाद	10	17.	पंचकूला	29
6.	फतेहाबाद	12	18.	पानीपत	31
7.	गुरुग्राम	13	19.	रेवाड़ी	33
8.	हिसार	15	20.	रोहतक	35
9.	झज्जर	17	21.	सिरसा	37
10.	जींद	19	22.	सोनीपत	39
11.	कैथल	21	23.	यमुना नगर	40
12.	करनाल	22			

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का परिचय

पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का प्राथमिक लक्ष्य है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया गया। पहला, परिवार पहचान–पत्र की फ्लैगशिप योजना के तहत आय सत्यापन के माध्यम से हरियाणा के वास्तविक जरूरतमंद परिवारों की पहचान करना और दूसरा, व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से इन परिवारों के गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना है।

परिणामस्वरूप, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक सर्वग्राही योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक समावेश की सुविधा के साथ गरीबी को कम करना, यानी सबसे गरीब 'अंत्योदय' परिवारों की आय में वृद्धि करना है। यह वे परिवार हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है। इस योजना का उद्देश्य उनकी वार्षिक पारिवारिक आय को प्रतिवर्ष 1.8 लाख रुपये या उससे अधिक तक बढ़ाना तथा उन्हें विभिन्न ऋण–आधारित, कौशल–विकास और रोजगार सृजन योजनाओं से जोड़ना है।

इस योजना की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से परिवार के समग्र उत्थान पर केंद्रित है। इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू 'अंत्योदय ग्राम उत्थान' मेलों के माध्यम से लाभार्थियों को योजनाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करवाना है। मेलों का उद्देश्य लाभार्थियों को विभाग/संगठन, बैंक और जिला प्रशासन द्वारा एक स्थान पर एकत्रित होकर सरकारी योजनाओं का लाभ देना है।

जैसे ही संभावित लाभार्थी मेले में प्रवेश करता है, उसे परामर्श डेस्क की ओर निर्देशित किया जाता है, जिसमें उसे 18 विभागों की सभी 49 योजनाओं से परिचित करवाया जाता है। इन योजनाओं को स्व–रोजगार, कौशल–विकास और रोजगार–सृजन की व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तब लाभार्थी को परामर्श दल के सदस्यों द्वारा उनकी जरूरतों जैसे शिक्षा, कौशल, रुचि, स्थान आदि कुछ पात्रता मानदंडों के आधार पर अपने परिवार के लिए सबसे उपयुक्त योजना चुनने में अपेक्षित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

सबसे उपयुक्त योजना चुनने के बाद, आवेदक को आगे चयनित योजना के संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाता है। विभाग तब आवेदक को चुनी गई योजना को विस्तार से समझने में मदद करता है, जैसे कि ब्याज दरें, सब्सिडी, प्रासंगिक समयसीमा

और योजना की अन्य शर्तें। विभाग योजना की औपचारिकताओं जैसे दस्तावेज एकत्र करने और ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। यदि आवेदक ऋण संबंधी योजना के लिए आवेदन करता है तो उसे बैंक डेस्क पर निर्देशित किया जाता है। डेस्क पर तैनात अधिकारी मेले के दिन ही ऋण स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

अब तक (07.09.2022 तक) हरियाणा के सभी 22 जिलों में तीन चरणों में कुल 861 मेलों का आयोजन किया गया। मेले के लिए चिन्हित एवं आमंत्रित किए गए 3,35,344 लाभार्थियों में से 1,36,130 उपस्थित हुए और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,454 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए। तत्पश्चात 32,743 हितग्राहियों के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 14,000 का ऋण वितरण भी किया जा चुका है। 436 लाभार्थियों को निजी रोज़गार से जोड़ा गया और 1185 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रदान किया गया है। इस योजना के प्रभाव को इस पुस्तिका में सफलता की कहानियों के रूप में समेटा जा रहा है। ये कहानियाँ पाठकों को 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' की मदद से गरीबी पर काबू पाने में अंत्योदय परिवारों के संघर्षों और चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगी।

अंबाला

श्री अमनप्रीत की सफलता की कहानी

श्री अमनप्रीत अंबाला जिले के बरारा खंड अकालगढ़ का रहने वाला हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी, उन्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिली और वे लंबे समय तक बेरोज़गार रहे। उनके परिवार की आय का एकमात्र स्रोत कपड़े की सिलाई के एक छोटे से व्यवसाय से उनकी पत्नी की कमाई थी– जिससे आय केवल 5000 रुपये प्रतिमाह थी। परिणामस्वरूप, उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बेहतर जीवन शैली देने के लिए संघर्ष किया। हालांकि, अमनप्रीत हमेशा गरीबी से बचने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए दृढ़ था। आखिरकार उन्होंने उत्थान योजना की मदद से अपना रास्ता निकाल लिया।

उन्होंने जाना कि जिला प्रशासन अंबाला द्वारा खंड स्तर पर उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा जरूरतमंदों को आय सृजन से संबंधित कई योजनाएं की जानकारी दी जा रही हैं। इसके बाद, उन्होंने मेले में भाग लिया और परामर्श टीम के सदस्यों के साथ अपनी वित्तीय सीमाओं, कौशल और रुचि के क्षेत्र को साझा किया, जिन्होंने फिर उसे एक अटल सेवा केंद्र सी.एस.सी. खोलने का सुझाव दिया क्योंकि वह मैट्रिक पास था और उसे कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान था। उसके बाद, उन्हें सी.एस.सी. विभाग की ओर निर्देशित किया गया, जिन्होंने उन्हें इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक मदद और मार्गदर्शन प्रदान किया।

एक महीने के भीतर, वह अपने क्षेत्र में एक सी.एस.सी. खोलने में कामयाब रहे और ग्रामीणों को आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया । अपना सी.एस.सी. खोलने के तुरंत बाद, जिससे उनकी कुल पारिवारिक आय लगभग 15,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह हो गई।

श्री अमनप्रीत, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के अति आभारी हैं, क्योंकि उनके द्वारा चलाई गई उत्थान योजना के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वह समय पर सूचना प्रसारित करने और अपनी स्वरोजगार की पूरी यात्रा को सुगम और परेशानी मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन के भी आभारी हैं।

श्री कंवलजीत सिंह की सफलता की कहानी

श्री कंवलजीत सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह अंबाला शहर के रहने वाले हैं। 38 साल की उम्र तक, वह एक संविदा चालक के रूप में काम करते थे, जिससे वे मुश्किल से प्रतिमाह 6000 रुपये कमाते थे। वे पांच सदस्यों के परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और वे इतनी कम आय के साथ अपने परिवार की दिन–प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। वे हमेशा अपने परिवार को एक बेहतर जीवन शैली प्रदान करना चाहते थे, लेकिन उनके पास अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई दिशा और मार्गदर्शन नहीं था।

वर्ष 2022 में उत्थान योजना उसके लिए राहत की सांस लेकर आई। जून के महीने के दौरान, श्री कंवलजीत सिंह ने अंबाला शहर के पंचायत भवन में जिला प्रशासन अंबाला द्वारा आयोजित उत्थान मेला का दौरा किया, जिसमें उन्होंने परामर्श टीम के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा की। उनके ड्राइविंग कौशल से अवगत होने के कारण, काउंसलर ने उन्हें अपना ई–रिक्शा लेने का सुझाव दिया, जिसके माध्यम से वे कुछ नियमित आय प्राप्त कर सकेगा। टीम ने उन्हें दीन दयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम.) विभाग को निर्देशित किया। डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम. के कर्मचारियों ने 1,49,000 रुपये के ऋण के लिए आवेदन करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में उनकी मदद की और उसी दिन उनके दस्तावेज बैंक को दिए।

एक महीने के भीतर, कंवलजीत सिंह का ऋण आवेदन स्वीकृत हो गया और वे एक ई–रिक्शा का मालिक बन गया। उन्होंने अब अंबाला शहर में अपना ई–रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है और अपनी पिछली आय से कम से कम 3 गुना अधिक कमा रहे हैं। कंवलजीत एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी आय को और बढ़ाने की कड़ी मेहनत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

वे गरीबी से उभरने के लिए तथा अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने के लिए सरकार के भी आभारी हैं।

श्रीमती रूपा बिचुकले की सफलता की कहानी

श्रीमती रूपा बिचुकले धर्मपत्नी विकास बिचुकले अंबाला शहर के तस्वीरा वाली गली के रहने वाली हैं। श्रीमती रूपा एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में एक कारखाने में काम करती थी और मुश्किल से ही 6000 रुपये कमा पाती थी। कोविड–19 महामारी की शुरुआत में, उसने कारखाने में अपनी नौकरी खो दी, जिससे उसकी पारिवारिक आय में कमी आई। श्रीमती रूपा ने फिर से अपने पैरों पर खड़े होने और अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर न रहने की ठान ली। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की उनकी खोज में, उत्थान योजना उनके लिए आशा की किरण बनकर आई।

उसे एक फोन कॉल के माध्यम से उत्थान योजना के बारे में पता चला और उसे निर्धारित तिथि और समय पर मेले में शामिल होने के लिए कहा गया। उन्हें परामर्श डेस्क पर कई योजनाओं के बारे में बताया गया जो आय सृजन में उनकी मदद कर सकती थी। आखिरकार, उसने रेडक्रॉस सोसाइटी के होम नर्सिंग कोर्स में अपनी रुचि दिखाई। रेडक्रॉस के कर्मचारियों ने मेले में ही सभी कागजी कार्रवाई को पूरा करने में उनकी मदद की और उन्होंने मेले के ठीक बाद अपना होम नर्सिंग प्रशिक्षण शुरू किया।

श्रीमती रूपा ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और वर्तमान में 9000 रुपये प्रति माह कमा रही है। वह उचित आय प्राप्त करते हुए समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग की सेवा करने के लिए सरकार द्वारा संचालित उत्थान योजना की आभारी हैं। अब वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।